न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
01 / 2022	2022 / 13	13.01.2022	12.05.2022

उनवान प्रकरण

1. कैलाश पुत्र सुण्डाराम उम्र–35 साल, जाति चेजारा निवासी ढ़ाणी खान्या की जालपाली तन् ग्राम मूण्डरू, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)।

—प्रार्थी

बनाम

1. फूली देवी पत्नी स्व0 सुण्डाराम उम्र 68 वर्ष
2. सुनील पुत्र सुण्डाराम आयु 25 वर्ष
3. जयराम पुत्र सुण्डाराम आयु 29 वर्ष

   समस्त जाति चेजारा निवासीगण ढ़ाणी खान्या की जालपाली तन् ग्राम मूण्डरू, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
4. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर
5. उप पंजीयक अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
6. पटवारी हल्का मूण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

—अप्रार्थीगण

उपस्थित–

श्री गिरधारी लाल सैनी ... प्रार्थी ओर से
श्री रामावतार सैनी प्रथम, अप्रार्थीगण ... से अभिभाषक।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.26 11:30:40 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

12/05/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

-:: निर्णय ::-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ अप्रार्थीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 2929 रकबा 0.3400 हैक्टर, 2938 रकबा 0.9100 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.25 हैक्टर तन् ग्राम मूण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में स्थित है। उक्त भूमियॉ का राजस्व रिकार्ड 1/10 व 3/125 हिस्सा अप्रार्थीया नम्बर 1 के नाम एंव शेष हिस्सा अन्य सहखातेदारों के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित है। उक्त भूमियॉ दिनांक 23.11.2004 को पूर्व खातेदार धूड़सिंह, दयालसिंह पुत्रगण भोपालसिंह, दीपेन्द्र सिंह पुत्र रामसिंह, जितेन्द्र सिंह, गजराजसिंह पुत्रगण रामसिंह दोनों नाबालिग जरिये प्राकृतिक सरक्षंक माता सजन कॅवर बेवा रामसिंह, नोन्द कॅवर बेवा मानसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम मूण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर से अप्रार्थीया नम्बर 1 के हक में पंजीयन लेख प्रार्थी व अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 3 के पिता एंव पति स्व0 सुण्डाराम ने प्रतिफल राशि विक्रेता को अदा कर विधिवत् करवा दिया था। प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 3 के पिता एंव पति स्व0 सुण्डाराम ने अपनी धर्मपत्नी अप्रार्थीया नम्बर 1 के हक में दिनांक 23.11.2004 को मृत्तक सुण्डाराम ने अपनी स्वअर्जित आय के रूपये प्रतिफल के रूप में पूर्व खातेदारों को अदा कर अप्रार्थीया नम्बर 1 के हक में पंजीयन लेख दिनांक 23.11.2004 को तस्दीक करवा दिया था। उक्त पंजीयन में अप्रार्थीया नम्बर 1 के द्वारा कोई राशि अदा नहीं की गई क्योंकि अप्रार्थीया नम्बर 1 के पास किसी भी प्रकार का कोई आय को स्त्रोत नहीं था। प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 3 के पिता एंव पति स्व0 सुण्डाराम ने अपनी स्वअर्जित आय से उक्त सम्पदा कय किया था। उक्त भूमियॉ प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 3 की पैत्रृक [illegible] न कि अप्रार्थीया नम्बर 1 की स्वअर्जित भूमि है। प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण [illegible] का देहान्त दिनांक 11.12.2006 को हो गया था। मृत्तक सुण्डाराम के विधिक [illegible] कानूनी वारिसान् प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 3 एंव मृत्तक सुण्डाराम की पुत्रीयॉ 1. प्रेम देवी 2. सरोज देवी 3. मंजू

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.26 11:30:40 IST
Reason: SelfAttested

12/05/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

देवी 4. संतोष देवी 5. गोपाली देवी 6. मूनिया देवी हैं। इस प्रकार प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 3 के पिता एवं पति के 10 विधिक वारिसान हैं। जिसमें प्रार्थी सहित अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 3 एवं स्व0 सुण्डाराम की पुत्रीया प्रेम देवी, सरोज देवी, मजूं देवी, सन्तोष देवी, गोपाली देवी, मुनिया देवी का बराबर–बराबर हिस्सा अनुसार हक हिस्सा निहित है। उक्त वर्णित भूमियाँ श्रीमाधोपुर–अजीतगढ़ रोड़ पर स्थित होकर कीमतें काफी ज्यादा है। प्रार्थी अपने पिता स्व0 सुण्डाराम के देहान्त होने के बाद से ही अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करता चला आ रहा है। अप्रार्थीगण नम्बर 2 व 3 के मन में बदनियति आ गई है जो अप्रार्थीया नम्बर 1 प्रार्थी की माता वृद्ध हो चुकी है। जिसको अपने प्रभाव में लेकर प्रार्थी के हक हिस्सा सहित हड़पना चाहते है। जिसका अप्रार्थीगण नं. 1 ता 3 को किसी प्रकार का कोई हक अधिकार नहीं है। अप्रार्थीया नं. 1 परिवार में महिलाकर्त्ता होने एंव परिवार में जिम्मेदार होने एंव तत्कालीन परिस्थितियों के कारण स्व0 सुण्डाराम ने अप्रार्थीया के हक में विक्रय प्रतिफल राशि विक्रेतागण को अदा कर पंजीयन लेख तस्दीक गवाह सुमेरसिंह पुत्र रघुनाथ सिंह, शंकरसिंह पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत के समक्ष पंजीयन लेख तस्दीक करवाया है। उक्त पंजीयन लेख मंजू देवी पत्नी राजकुमार जाति कुमावत निवासी मूण्डरू ने भी दिनांक 23.11.2004 को अप्रार्थीया नम्बर 1 के साथ पूर्व खातेदारों से हक हिस्सा 4/5 क्रय किया था। उक्त सभी लोगों के सामने प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 3 का पति एंव पिता ने अप्रार्थी नम्बर 1 के हक हिस्से के पंजीयन लेख का प्रतिफल अदा कर अप्रार्थीया नम्बर 1 के नाम पंजीयन लेख करवा दिया था। अप्रार्थीया नम्बर 1 अपने पुत्रों अप्रार्थी सं. 2 व 3 के बहकावे में आकर प्रार्थी को उसकी पैत्रक भूमि से बर्बाद करने पर आमादा हो रही है। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 एंव इनके सहयोगी ने प्रार्थी को दिनांक 20.12.2021 को ताकत के बल पर बेदखल करने पर उतारू हो जाने पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक होने पर न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन व[illegible] द्वारा किया गया है।

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलबी जरिये नोटिस तामील किया। अप्रार्थीगण नं. 1 ता 3 की ओर से श्री रामावतार सैनी प्रथम एड0 ने उपस्थित होकर अप्रा[illegible]गण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.26 11:30:40 IST
Reason: SelfAttested

12/05/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 4 ता 6 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थी सं. 4 ता 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी के द्वारा प्रकरण में अन्तरिम स्थगन आदेश जारी किये जाने का निवेदन किया गया। जिसका वकील अप्रार्थी ने पुरजोर विरोध करते हुए प्रकरण में न्यायिक दृष्टान्त पेश करते हुए वकील अप्रार्थीगण ने प्रकरण में जवाब टी.आई. पेश कर दिये जाने से प्रकरण में अन्तिम बहस सुनी जाकर प्रकरण का अन्तिम निस्तारण किये जाने हेतु सहमति व्यक्त की। जिसके आधार पर प्रकरण को बहस में लिया गया। प्रकरण में वकील प्रार्थी एंव वकील अप्रार्थीगण ने आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। वकुलाय उभय पक्षकारान् के निवेदन पर प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई।

दौराने बहस वकील प्रार्थी ने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अवगत कराया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 2929 रकबा 0.3400 हैक्टर, 2938 रकबा 0.9100 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.25 हैक्टर तन् ग्राम मूण्डरू तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित होकर उक्त भूमियों का राजस्व रिकार्ड 1/10 व 3/125 हिस्सा अप्रार्थीया नम्बर 1 के नाम एंव शेष हिस्सा अन्य सहखातेदारों के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकित होने तथा उक्त भूमियॉं दिनांक 23.11.2004 को पूर्व खातेदार धूड़सिंह, दयालसिंह पुत्रगण भोपालसिंह, दीपेन्द्र सिंह पुत्र सुमेरसिंह, जितेन्द्र सिंह, गजराजसिंह पुत्रगण रामसिंह दोनों नाबालिग जरिये प्राकृतिक सरक्षंक माता सज्जन कॅवर बेवा रामसिंह, नोन्द कॅवर बेवा मानसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम मूण्डरू से अप्रार्थीया नम्बर 1 के हक में पंजीयन लेख प्रार्थी व अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 3 के पिता एंव पति स्व0 सुण्डाराम ने अपनी स्वअर्जित आय के रूपये से प्रतिफल राशि विक्रेता को अदा कर विधिवत् करवा दिया था। उक्त पंजीयन में अप्रार्थीया नम्बर 1 के द्वारा कोई राशि अदा नहीं की गई क्योंकि अप्रार्थीया नम्बर 1 के पास किसी भी प्रकार का कोई आय का स्त्रोत नहीं था। उक्त भूमियॉं प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 3 की पैत्रृक भूमियॉं है न कि अप्रार्थीया नम्बर 1 की स्वअर्जित भूमि है। प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 3 के पिता एंव पति का देहान्त दिनांक 11.12.2006 को हो गया था। मृत्तक सुण्डाराम के 10 विधिक एंव कानूनी वारिसान हैं। जिसमें प्रार्थी सहित अप्रार्थीगण नम्बर 1 ता 3 एवं स्व0 सुण्डाराम की पुत्रीया प्रेम देवी, सरोज

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.26 11:30:40 IST
Reason: SelfAttested

12/05/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

देवी, मजूं देवी, सन्तोष देवी, गोपाली देवी, मुनिया देवी का बराबर–बराबर हिस्सा अनुसार हक हिस्सा निहित है। उक्त वर्णित भूमियॉं श्रीमाधोपुर–अजीतगढ़ रोड़ पर स्थित होकर कीमतें काफी ज्यादा है। प्रार्थी अपने पिता स्व0 सुण्डाराम के देहान्त होने के बाद से ही अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करता चला आ रहा है। अप्रार्थीगण नम्बर 2 व 3 के मन में बदनियति आ जाने से उक्त भूमि से प्रार्थी को बेदखल कर भूमि का अन्तरण भूमाफियावृत्ति के लोगों को किये जाने पर आमादा होने से प्रकरण में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में किया है।

वही वकील अप्रार्थीगण ने दौराने बहस अपने द्वारा प्रस्तुत जवाब टी. आई. में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अवगत कराया कि उक्त वादग्रस्त आराजी भूमि अप्रार्थीया नं. 1 फूली देवी के नाम खरीदशुदा स्वःअर्जित सम्पदा होकर हिस्सानुसार दर्ज रिकार्ड है। जिसको उक्त खातेदार अपनी इच्छानुसार उपयोग उपभोग करने हेतु स्वतंत्र है। विवादित भूमि का मृत्तुक पिता व पति सुण्डाराम द्वारा प्रतिफल राशि अदा करके खरीद किया जाना पूर्णतया गलत है। विवादित भूमि फूली देवी ने स्वंय की आमदनी से खरीदशुदा होकर स्वःअर्जित सम्पदा है। जो फूली देवी की स्वयं की कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है। प्रार्थी अप्रार्थी नं. 1 का बड़ा पुत्र है तथा अप्रार्थीगण नम्बर 2 व 3 छोटे लड़के है। जिनके पति/पिता का देहान्त वर्ष 2006 में हो जाने के बाद प्रार्थी द्वारा मनमानी कार्यवाही करके परिवार से अलग होकर पिता सुण्डाराम के नाम दर्ज भूमियों को विकय करके अप्रार्थीया नं. 1 अपनी माता व अप्रार्थी सं. 2 व 3 अपने भाईयों के साथ गलत व्यवहार करके अपने छोटे भाई बहनों को नजरअदांत कर देने व संयुक्त परिवार में होने वाले खर्चो की अदायगी से इन्कार करने से फूली देवी वर्ष 2007–08 में आंखों से अंधी हो गई जो अपने छोटे पुत्रों पर आश्रित है। तब से प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी नम्बर 2 व 3 के साथ दुर्व्यवहार बढता जा रहा है। प्रार्थी विवादित भूमि को मनमाने रूप से दवाब बनाकर अपने नाम करवाने पर आमादा है। जबकि विवादित भूमि अप्रार्थीया नं. 1 फूली देवी की खरीदशुदा स्वःअर्जित स[illegible] धारा 14 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार फूलीदेवी मालिक व स्वामी है। उक्त सम्पदा [illegible] दे[illegible] की स्वःअर्जित सम्पदा होने से फूलीदेवी को अपनी इच्छानुसार उपयोग–उपभोग या ह[illegible] करने का पूर्ण अधिकार है। जिसमें प्रार्थी को कानूनन कोई हस्तक्षेप नहीं कर सक[illegible] है। प्रार्थी ने विवादित भूमि को

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.26 11:30:40 IST
Reason: SelfAttested

12/05/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

भूमाफियाओं से सांठगांठ करके अप्रार्थीया पर भूमि विक्रय करने या अपने नाम करवाने का अनुचित दवाब बनाने तथा अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा मना करने पर प्रार्थी ने तथ्यों को छिपाकर उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया है। विवादित सम्पदा अप्रार्थीया की स्वंय की विक्रय पत्र से खरीदशुदा स्वःअर्जित सम्पदा होकर विक्रय करने व अपनी इच्छानुसार उपयोग उपभोग करने का पूर्ण अधिकार है जिसमें किसी भी तरह की रूकावट या मजाहमत पैदा करने का प्रार्थी को कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी की कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं है ना ही विवादित सम्पत्ति संयुक्त परिवार की खरीदशुदा सम्पदा होने से अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किये जाने का निवेदन वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में किया है।

हमने वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस ध्यानपूर्वक सुनी व बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077, अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में करवाये गये विक्रय लेख दिनांक 23.11.2004 की फोटो प्रति इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वादग्रस्त भूमियॉ पक्षकार अप्रार्थीया संख्या 1 की स्वःअर्जित भूमियॉ है। जो पक्षकार अप्रार्थीया संख्या 1 के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय लेख से विक्रेतागण धूड़सिंह वगै० से दिनांक 23.11.2004 को कय की गई है। जिसकों उक्त खातेदार फूली देवी अपनी इच्छानुसार उपयोग उपभोग करने हेतु स्वतंत्र है। विवादित भूमि का मृत्तक पिता व पति सुण्डाराम द्वारा प्रतिफल राशि अदा करके खरीद किया जाना रिकार्ड से प्रकट नहीं होता है। विवादित भूमि फूली देवी ने स्वंय की आमदनी से खरीदशुदा होकर स्वःअर्जित सम्पदा होना प्रकट होता है। जो फूली देवी की स्वयं की कब्जे काश्त व राजस्व रिकार्ड में खातेदारी की भूमि होना सिद्ध होता है। वकील अप्रार्थीगण ने दौरान बहस उक्त विवादित भूमि अप्रार्थीया नं. 1 फूली देवी की खरीदशुदा स्वःअर्जित सम्पदा होने से धारा 14 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार फूलीदेवी के मालिक व स्वामी होने तथा उक्त सम्पदा फूली देवी की स्वःअर्जित सम्पदा होने से फूलीदेवी को अपनी इच्छानुसार उपयोग–उपभोग या हस्तान्तरण करने का पूर्ण अधिकार होने व प्रार्थी को कानूनन कोई अधिकार नहीं होकर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करने से अवगत कराया है। **हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14 में स्पष्ट प्रावधान है कि हिन्दू नारी की सम्पति उसकी आत्यन्तिकतः अपनी सम्पत्ति होगी–1. हिन्दू नारी के कब्जे में की कोई भी सम्पत्ति, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व या पश्चात् अर्जित की गई हो, उसके द्वारा पूर्ण**

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.26 11:30:40 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

स्वामी के तौर पर न कि परिसीमित स्वामी के तौर पर धारित की जाएगी। स्पष्टीकरणः– इस उपधारा में "सम्पत्ति" के अन्तर्गत वह जंगम और स्थावर सम्पति आती है जो हिन्दू नारी ने विरासत द्वारा अथवा वसीयत द्वारा अथवा विभाजन में अथवा भरण पोषण के या भरण पोषण की बकाया के बदले में अथवा अपने विवाह के पूर्व या विवाह के समय या पश्चात् दान द्वारा किसी व्यक्ति से, चाहे वह सम्बन्धी हो या न हो, अथवा अपने कौशल या परिश्रम द्वारा अथवा क्रय द्वारा अथवा चिरभोग द्वारा अथवा किसी अन्य रीति से, चाहे वह कैसी ही क्यों न हो, अर्जित की हो और ऐसी कोई सम्पत्ति भी जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से अव्यवहित पूर्व स्त्रीधन के रूप में उसके द्वारा धारित थी। इस प्रकार हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 14– में हिन्दू नारी की सम्पति उसकी आत्यन्तिकतः अपनी सम्पत्ति होगी– हिन्दू नारी के कब्जे में की कोई भी सम्पत्ति, चाहे वह इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व या पश्चात् अर्जित की गई हो, उसके द्वारा पूर्ण स्वामी के तौर पर न कि परिसीमित स्वामी के तौर पर धारित की जाने बाबत स्पष्टतः प्रावधान होना प्रकट होता हैं। जिसके अनुसार उक्त विवादित भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड होने एंव प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज नहीं होने से उक्त विवादित भूमि पर प्रार्थी द्वारा चाही गई अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का प्रावधान कानूनन विधि सम्मत प्रकट नहीं होता है। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण के द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त में भी इसी आशय का मूलभूत सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि हिन्दू नारी की सम्पत्ति उसकी आत्यन्तिकतः अपनी सम्पत्ति होगी। वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर पूर्णरूपेण चस्पा होते है। प्रार्थी के हक हकूक न्यायालय में विचाराधीन वादपत्र में चाही गई उद्घोषणा के माध्यम से ही अप्रार्थी सं. 1 के निधन उपरान्त ही सृजित होकर निश्चित किये जायेगें। चूंकि वादग्रस्त आराजी भूमियाँ पक्षकारान् की पैत्रृक भूमियाँ नहीं होकर अप्रार्थीया संख्या 1 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विकय लेख से कय किये जाने से स्वःअर्जित सम्पदा होना पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड से स्पष्टतः प्रमाणित होती है। जिसके अनुसार प्रथम दृष्टवा मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त ये तीनों बिन्दू अप्रार्थीया संख्या 1 के पक्ष में बखूबी साबित पाया जाता है तथा प्रार्थी के पक्ष में ऐसा कोई बिन्दू नहीं पाया जाता है जिससे प्रार्थी का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार की जाकर स्थगन आदेश पारित किया जाकर अप्रार्थीगण को स्थाई/अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.26 11:30:40 IST
Reason: SelfAttested

12/05/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने पर अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

12/05/22

(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 12.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12/05/22

(दिलीप सिंह)
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.05.26 11:30:40 IST
Reason: SelfAttested